



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239374
CG-DL-E-06102022-239374

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]
No. 484]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 6, 2022/आश्विन 14, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 6, 2022/ASVINA 14, 1944

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

सं. एडी-11023/1/2021-प्रशा.-आर-एचओ-सीपीसीबी-एचओ.—केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा 12 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह 'क' पद विनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह 'क' पद (संशोधन) विनियम, 2022 है।
- (2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक एवं तकनीकी समूह 'क' विनियम, 2009 में परिशिष्ट-1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परिशिष्ट-1”

वैज्ञानिक पद

स्कीम में कुल पदों की संख्या

क्र.सं.	पद	पद की संख्या
1.	वैज्ञानिक 'ख'	95
2.	वैज्ञानिक 'ग'	70
3.	वैज्ञानिक 'घ'	28

4.	वैज्ञानिक 'ड'	10
5.	वैज्ञानिक 'च'	02
	कुल	205

टिप्पण : पदों में किसी निर्वहन के बिना पूर्ण विनियमशीलता होगी सिवाय इसके कि वैज्ञानिक 'ख', वैज्ञानिक 'ग', वैज्ञानिक 'घ', वैज्ञानिक 'ड' और वैज्ञानिक 'च' के पदों की कुल संख्या कुल स्वीकृत पदों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

तन्मय कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./294/2022-23]

टिप्पण : (1) मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में सं. ख-12015/33(34)/को-ओआरडी./2009, तारीख 12 जनवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(2) मूल विनियमों का संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में सं. ख-12015/33(34)/को-ओआरडी./2009, तारीख 20 अक्टूबर, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(3) मूल विनियमों का संशोधन भारत के राजपत्र असाधारण, भाग III, खंड 4 में सं. ख-12015/33(34)/को-ओआरडी./2009, तारीख 12 दिसंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2022

No. AD-11023/1/2021-ADMIN-R-HO-CPCB-HO.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3A of Section 12 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974), the Central Pollution Control Board, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Scientific and Technical Group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Scientific and Technical Group 'A' posts in Central Pollution Control Board (Amendment) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scientific and Technical Group 'A' posts in Central Pollution Control Board Regulations, 2009 for Appendix-I, the following shall be substituted namely:-

“Appendix-I”

SCIENTIFIC POSTS

TOTAL NUMBER OF POSTS IN THE SCHEME

S.N.	Designation	Number of Posts
1.	Scientist 'B'	95
2.	Scientist 'C'	70
3.	Scientist 'D'	28
4.	Scientist 'E'	10
5.	Scientist 'F'	02
	Total	205

Note : There will be complete interchangeability of posts without any restriction except that the total number of posts of Scientist 'B', Scientist 'C', Scientist 'D', Scientist 'E' and Scientist 'F' put together should not exceed the total sanctioned strength.

TANMAY KUMAR, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./294/2022-23]

Note : (1) The Principal regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, Vide No. B-12015/33(34)/Co-ord./2009, dated the 12th January, 2010.

(2) The amendment to the Principal regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, vide No. B-12015/33(34)/Co-ord./2009, dated the 20th October, 2011.

(3) The amendment to the Principal regulations were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, vide No. B-12015/33(34)/Co-ord./2009, dated the 12th December, 2011.